मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण एवं अन्य

बनाम

बैकबोन एंटरप्राइजेज लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 4012 वर्ष 2018) अप्रैल 18, 2018

[आदर्श कुमार गोयल और आर. एफ. नरीमन, न्यायमूर्ति]

मध्य प्रदेश मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम, 1983:

मध्यस्थता न्यायाधिकरण का क्षेत्राधिकार - माना गया: चूंकि *वीए टेक मामले को खारिज कर दिया गया था, विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र अधिनियम के तहत गठित मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास निहित है - लागू आदेश को अलग रखा जाता है।

वीए टेक एस्चर वायस फ्लोवेल लिमिटेड बनाम एमपीएसई बोर्ड और अन्य (2011) 13 एससीसी 261 - खारिज कर दिया गया।

केस कानून संदर्भ

(2011) 13 एससीसी 261 ने पैरा2 को खारिज कर दिया

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 4012 वर्ष 2018

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय इंदौर के निर्णय और आदेश दिनांक 11.05.2011 के विरुद्ध मध्यस्थता प्रकरण संख्या 7 वर्ष 2011 में ।

साथ

सिविल अपील क्रमांक 4013 एवं 4014 वर्ष 2018

सौरभ मिश्रा, एएजी, जुगल किशोर गिल्डा, पुरुषइंद्र कुमार, एडवोकेट जनरल, नमन नागरथ, नीरज किशन कौल, पराग त्रिथी, सुश्री किरण सूरी, वरिष्ठ अधिवक्ता, हर्ष पाराशर, जुबिन प्रसाद, अमन पांडे, जसदीप एस. ढिल्लों, प्रभात के. चौरसिया, सुश्री रेणुका साहू, जय सावला, अमर वरुण, शांतनु कृष्ण, सुश्री अनुसूया सलवान, ध्रुव मिश्रा, दिव्यांशु कुमार श्रीवास्तव, आकाश लांबा, वीरेन सिब्बल, विवेकानन्द बी., विकास सूद, अपूर्व कुरुप, सुश्री ईशा मितल, डॉ. हर्ष पाठक, सुश्री श्वेता महाजन, मोहित चौबे, सिद्धार्थ शुक्ला, नीरज शेखर, अर्जुन गर्ग, मिश्रा सौरभ, श्रीधर पोतराजू, सुधीर मिश्रा, प्रभात कुमार, सुश्री पेटल चंडोक, सुश्री अंकिता शर्मा, ऋषभ, एम. आर. शमशाद, आदित्य समद्दर, बी. एस. बांठिया, सुश्री स्वरूपमा चतुवेर्दी, सौरभ एस. सिन्हा, आदित्य देव त्रिगुणा, सुनील सिंह परिहार, मेसर एपी एंड जे चेम्बर्स, प्रफुल्ल कुमार बेहरा, मनीष के. भारद्वाज, एस.एस. नेहरा, सुश्री अनुराधा मिश्रा, सुश्री वंशजा शुक्ला, वरुण मोहन, स्वास्तिक सिंह, मनीष यादव, सुश्री स्वरूपमा चतुवेर्दी, बी.एन. दुबे, सुश्री देविका गुलाटी, हितेंद्र नाथ रथ, मयंक क्षीरसागर, पावेश जोशी, चावु अंबवानी (मेसर एपी और जे चैंबर्स के लिए), बी.के. सतीजा, सुमित अत्री, के कृष्ण कुमार, हितेंद्र नाथ रथ, नीलाव बंद्योपाध्याय, राहुल पांडे, अधिवक्ता उपस्थित पक्षों के लिए ।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश पारित किया गया:

आदेश

1. विलम्ब क्षमा किया गया। अनुमति प्रदान की गई।

2. वीए टेक एस्चर वायस फ्लोवेल लिमिटेड बनाम एमपीएसई बोर्ड और अन्य (2011) 13 एससीसी 261 में इस न्यायालय के फैसले को खारिज कर दिया गया है। प्रश्न में विवाद से निपटने का अधिकार क्षेत्र एमपी मध्यस्थ अधिकरण अधिनियम 1983 के तहत

अस्वीकरण

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

गठित एमपी मध्यस्थता न्यायाधिकरण के पास निहित है। मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत लागू आदेश में दिए गए निर्देश को रद्द कर दिया गया है।

3. अपीलों का निपटारा किया जाता है।

4. प्रतिवादी कानून के अनुसार वैधानिक न्यायाधिकरण के समक्ष अपना उपाय करने के लिए स्वतंत्र होगा।

5. पार्टियां एम.पी. के समक्ष उपस्थित हो सकती हैं। मध्यस्थता न्यायाधिकरण 9 जुलाई, 2018 को आगे की कार्यवाही के लिए।

6. अपीलकर्ता इस आदेश की एक प्रति उत्तरदाताओं को दे सकता है।

कल्पना के.त्रिपाठी अपीलें निस्तारित।

Sandeep Kumar Jaiswal, Advocate
Enrollment No.UP-5956/2018
AOR No.A/S-0328/2019

अस्वीकरण
"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"